

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या:-26/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

हीना कौशर तलाई के पास दर्गा रोड, गांव कुमारी तहसील व
जिला नागौर।

—अपीलार्थीया

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़

—प्रत्यार्थी

आदेश


दिनांक:-27.06.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के सम्बन्ध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थीया के अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थीया द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ से बिन्दू संख्या 1 से 8 तक बिन्दुवार सूचना/दस्तावेजों की मांग की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर अपीलार्थीया द्वारा यह प्रथम अपील की है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ से पत्र क्रमांक 8827 दिनांक 21.06.2019 द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जिसकी प्रति अपीलार्थीया को सूचनार्थ प्रेषित की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक 8827 दिनांक 21.06.2019 के साथ संलग्न पत्र क्रमांक 61 दिनांक 20.05.2019 की प्रति का अवलोकन करने से इनके द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 8 के संबंध में सूचना अपीलार्थीया को प्रेषित किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के इस अपील में ओर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपीलार्थीया की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।


लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ़